भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 531

जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 27 नवंबर, 2014 को दिया जाना है

पूंजीगत वस्तु उद्योग का संरक्षण

531. डा. चंदन मित्रा:
श्री रंगासायी रामकृष्णा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को कार्यानीतिक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण आधार का विकास करने हेतु दीर्घावधिक रूपरेखा के अभाव के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते तथा तरजीही व्यापर समझौते करते समय हमारे समग्र रूप से पूंजीगत वस्तु उद्योगों एवं घरेलू उद्योगों के हितों के सरंक्षण हेतु कौन-से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) और (ख): जी, हां। इस सेक्टर में स्वदेशी विनिर्माण के विकास के लिए रूपरेखा भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में तैयार की गई "राष्ट्रीय विनिर्माण नीति" के अंतर्गत शामिल है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में पूंजीगत वस्तु भी सम्मिलित है।

इसके अलावा, भारी उद्योग विभाग ने पूंजीगत वस्तु और इंजीनियरी सेक्टर के लिए वर्ष 2011 में योजना आयोग के तत्वावधान में कार्यकारी दल की रिपोर्ट तैयार की है।

इन दो नीति दस्तावेजों में दीर्घावधिक घरेलू विनिर्माण आधार विकसित करने की सिफारिशें शामिल हैं।

(ग): अपने कारोबारी भागीदारों के साथ बातचीत शुरू करने से पहले प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की व्यवहार्यता तथा घरेलू हितधारकों पर इनके समझौतों के असर का अध्ययन करने के लिए आंतरिक रूप से तथा संयुक्त अध्ययन समूह (जेएसजी) के माध्यम से भी अध्ययन किये जाते हैं। एपेक्स चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्री, उद्योग एसोसिएशनों और प्रशासनिक मंत्रालयों तथा विभागों से भी परामर्श किया जाता है। पूंजीगत वस्तु क्षेत्र सहित घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए इन समझौतों में उन मदों की संवेदनशील/नकारात्मक सूची, जिन पर एफटीए के अंतर्गत सीमित अथवा कोई भी शुल्क रियायत नहीं दी जाती है, के लिए भी व्यवस्था की गई है।

******